

सहमती

सहमती है

सहमती का मतलब है तकआप और रीजनल सटर, आपकी सेवाओं पर सहमति है। तन्मन्त्रतल्लखी के त्ताए रीजनल सटर के तन ण के बारे आपकी तल्लखी सहमती है:

- आपकी व्यखगि ि प्रोग्राम योजना (IPP) तक्सी सेवा को कम करना, बदलना या बंद करना
- आपकी मनचाही नई सेवा से इंकार करना

बि होगा, यतआप और रीजनल सटर सहमति न हो

जब आप और आपका रीजनल सटर सहमति न हों, ि रीजनल सटर के तल्ल आपको कारख्वाई सूचना (NOA) भेजना होगा है। NOA आपको रीजनल सटर के तन ण के बारे बगि ि है। यह आपको अपील करने के आपके अतिकार के बारे भी बगि ि है।

वे िरीके, त्त्रनसे आपका रीजनल सटर तल्लखा सकती है तकतल्लखी सहमती मौजू है

सहमती बि मौजूद होगी है, जब:

- आपने प्रस्तातवबिदलाव या इसम त्तिवाले IPP पर तक् ह। IPP आपकी पसंदीदा भाषा होगी है।
- आपने प्रस्तातवबिदलाव या इसम त्तिवाली सेवाओं की सूची पर त्क् ह। सेवाओं की सूची आपकी पसंदीदा भाषा होगी है।
- आपने रीजनल सटर को तल्लखी दस्तावेज भेजा है, जो बगि ि है तकआप सेवा को बदलने या उससे इंकार करने के तन ण से सहमति है। तल्लखी सहमती ईमेल, या या कोई तल्लखी दस्तावेज हो सकता है।

चरण, जब सहमती ि ने वाला तल्लखी ि ेज मौजू न हो

यतदतल्लखी सहमतिवाला दस्तावेज न हो ि रीजनल सटर ऐसा कर सकता है:

- आपको से यह बगि ि पत्र भेजना तकरीजनल सटर को ि लगा है तकआपने उनके तन ण पर सहमती दी थी। इस ना त्स कहा जागि है।
- आपको कारख्वाई सूचना (NOA) भेजना।

जानकारी, जो वना त्त्र होनी आवश्यक है

तस उस त्त्र से 5 कायत्तल्लखी के अंदर भेजा जाना आ है, जब रीजनल सटर ने माना था तकआपने सहमती दी थी।

तस तन्मन्त्रतल्लखी बाि शातम्न होनी चातहए

- यह दशात्त वाले तकरीजनल सटर को ि लगा है तकआपने सहमती दी थी
- वह कारख्वाई तजसेरीजनल सटर करने की योजना बनागि है
- कारख्वाई के तल्ल क
- अपील या के बारे जानकारी
- इस बारे जानकारी तकयह कैसे बगिं तकआप असहमति
- अपील या के बारे जानकारी कैसे पाएं, और
- अपील अनुरो ि फॉमण

यह आपकी पसंदीदा भाषा होना है।

यतदआप रीजनल सटर को बर्षि तकआप असहमि , रीजनल सटर को आपको NOA भेजना होगा।

सहायि उपलब्ध है:

- आपका सेवा कोऑटओटर या रीजनल सटर का कोई और स्टाफ सदस्य मददगार हो सकाि है। वे आस या NOA के बारे से बर्षि सकाि ह। वे आपको लोगों या एजतसयोंके पास भेज सकाि , जो सहायि कर सकाि ह।
- सेवा तवभग ड्सपसण कायालय, आस या NOA के बारे से बर्षि मददगार हो सकाि ह। वे आपसे आपके रों के बारे भी बर्षि कर सकाि , यतदआप असहमि ह। ड्सपसण आपको आपके अपील संबर्षि अतिकारों के बारे जानकारी ण कर सकाि है। आप ड्सपसण से यहां संपकण कर सकाि : (877) 658-9731 or Ombudsperson@dds.ca.gov
- आपके थानीय ग्राहक अतिकार एडवोकेट (CRA) को उ कैतलफोतण के तल (800) 390-7032 पर या द कैतलफोतण के तल (866) 833-6712 पर। आपका CRA, पुतकिरने वाले या NOA को समझने आपकी मदद कर सकाि है। वे आपके रों के बारे आपको जानकारी दे सकाि ह। CRA, यह तन ण लेने आपकी मदद कर सकाि है तकआप कदम उठाएं।